अनुसूची 21—नियम सं० 113

6315 31/7/078

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 12623 3/7/078 19.....

श्री/श्रीमती Navratan Lal.

ने मेरे समक्ष आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट संक्रामणों और अन्तरणों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति के अन्तरण करने वाले संक्रामणों और अन्तरणों के ब्यौरे में यहाँ से और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में कथन 1-1-05 to fill date. 19..... As per Indent II संपत्ति पर से अवभार से मुक्त है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निबंधन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza — Badalpura.
S. Plot No — 454 & 455.
Khata No — 35.
Thana No — 52.
P.S — Danapur.
Plot Area — 11 Katha.

Scanned by CamScanner

1- प्रपत्रों के अनुसार विवरण भरें।

2- पोस्टल पत्र को दिनांक सहित हस्ताक्षर कर और मुहरबन्द कर अवश्य दें। पत्रों को लम्बवत् करके न भेजें।

3- पत्रों को ध्यान से पढ़ने की [illegible] और सावधानी बरतने के लिये [illegible] में यह उल्लेखित करना है कि वे प्रपत्रों की [illegible] और अक्षरशः को छोड़ कर [illegible] को प्रमाणित करने वाले विवरण [illegible] को पढ़ा जाने वाला है।

निम्न व्यक्ति ने हलफनामे की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): U-D-C.

(पदनाम):

हलफनामे का हस्ताक्षर और प्रस्तुति को ध्यान रखते हुए निम्न व्यक्ति ने पाया:

(हस्ताक्षर): Shailendra

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur

दिनांक: 31/7/23

मुहर एवं विधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण पत्र में जो सत्यापन और निष्कर्ष दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी किसी अंशतियों को निर्धारित दस्तावेजों में छिपाया गया हो तो ऐसा द्वारा कार्यालय से प्रमाणित सत्यापन (हलफनामा) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

1- विधान अधिनियम की धारा ---क के अधीन की अर्जित (कमाई) और अनुक्रमाधिनी (इन्डेक्स) की प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते हों अथवा उनका प्रतिनिधित्व करते हों जिन्हें विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण के प्रमाणक पत्रों को सरकार हो उन्हें हलफनामे स्वयं करनी होगी। विधान करिया का भुगतान करने पर आवेदी और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास पहुंचने स्थापित जायेंगी।

(क) किन्तु चौक कार्यालय अधिकार में आवेदक ने सारे हलफनामे नहीं की है, इसलिये कार्यालय अधिकृत हलफनामे प्रमाण को किसी भूल के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चौक कार्यालय मामले में आवेदक ने अपेक्षित अनुसार स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूसरे सभी सत्यापन और अवधारों को सत्यापन के बाद अपना पत्र दे दिये हैं, इसलिये विधान आवेदक द्वारा दिये गये सभी सत्यापनों और अवधारों को पक्ष के लिये जिम्मेदार न होगा जिसका उन्हें आधार पर उपलब्ध कराया गया।

अंचल — दानापुर

हाल पता: 63 Q

दिनांक: 31/7/23

आवेदक का: Navratan Lal

का हलफनामा सम्बन्ध पत्र [illegible]

I-C-I-C-I Bank (Patna).

[illegible] के पत्र संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के द्वारा में अग्रसारित [illegible] है।

निबंधक [illegible]

[illegible]

SH-46/09-2 60,000

Scanned by CamScanner

Rik Mall

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Narsafan Ld

Misc token no. Serial no. 12623

Year Date 31/7/25

Received from

Following fees:

F (i)- 0
F (ii)- 0
F (iii)- 0
F (iv)- 0
G- 0
G(a)- 0
Total- 0

300

Registering Officer

Scanned by CamScanner